प्रकरण में सिद्ध पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2023 में वर्णनानुसार अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 82 (वर्तमान खसरा नम्बर 997/82 एवं 995/82) में से माफिक नजरी नक्शा एवं तकमीना वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर से प्रतिकर राशि के एवज में रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 82 (वर्तमान खसरा नम्बर 997/82 एवं 995/82) के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–भावला तहसील–जायल के खसरा नं. 84 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2023 के अनुसार निले पेन से डोटेट अनुसार स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2023 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम भावला तहसील–जायल के खसरा नं. 84 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.12.2023 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल